न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

...सं0 एम0 128/2021 — प्रथम पक्ष– बसंत घोसाल............... वगैरह ।

बनाम

...रा 107 द0 प्र0 सं0 — द्वितीय पक्ष– राहुल ओहदार............... वगैरह ।

...देश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 20/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 01/2022 दिनांक 11/01/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) बसंत घोसाल उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 यदुनाथ घोसाल (2)सिताराम घोसाल उम्र 58 वर्ष (3) जितनाथ घोसाल उम्र 57 वर्ष (4) ब्रजेश घोसाल उम्र 42 वर्ष (5) फगुवा घोसाल उम्र 60 वर्ष चारों पिता स्व0 जगरनाथ घोसाल सभी ग्राम छोटकोईली, थाना कामडारा जिला गुमला बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) राहुल ओहदार उम्र 25 वर्ष पिता नंदकिशोर ओहदार (2) मोतीलाल ओहदार उम्र 50 वर्ष (3) नंद किशोर ओहदार उम्र 55 वर्ष दोनों के पिता स्व0 रामदेव ओहदार (4) दिगब्बर ओहदार उम्र 55 वर्ष (5) मौवा ओहदार उम्र 60 वर्ष दोनों के पिता रामछबीला ओहदार सभी ग्राम चंदाटोली, थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं0 –07, प्लॉट सं0–365, रकबा–243 एकड़ भूमि में आपना–आपना दखल को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)) Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.06 11:21:26 +05:30 Location: 192.168.1.3	